न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री करतार सिंह पूनियां (आर.ए.एस.)
वाद सं. 45/2012
R.C.M.S. No. 2012/00271

1. मनीराम पुत्र ठाकर जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (फौत)

1/1 रामेश्वरी पत्नि मनीराम 1/2 हाकम सिंह पुत्र मनीराम 1/3 लालचंद पुत्र मनीराम 1/4 लीलाराम पुत्र मनीराम 1/5 मंगतूराम पुत्र मनीराम 1/6 राजाराम पुत्र मनीराम 1/7 सुभाष पुत्र मनीराम	जाति जाट निवासीगण चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

—अपीलांट

बनाम

1. काशीराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (फौत)

1/1 जमना देवी पत्नि काशीराम 1/2 रजो उर्फ रजनी पुत्री काशीराम 1/3 सुनीता पुत्री काशीराम	जाति जाट निवासीगण चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनमानगढ

2. राजेन्द्र पुत्र काशीराम
3. रणवीर पुत्र काशीराम

जाति जाट निवासगण चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

4. चन्दो देवी पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (फोत नाम कलमजन)
5. भागीरथ पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (फोत)

5/1 पूनम पत्नि भागीरथ 5/2 बबलू पुत्र भागीरथ 5/3 रीतू पुत्री भागीरथ 5/4 मिंकल पुत्री भागीरथ	जाति जाट निवासगण चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

6. धनपत पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

7. प्रकाश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 14.04.1971 न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (R.C.P.) हनुमानगढ़ प्रकरण सं. 1044/179/आवंटन पत्रावली कालू पुत्र ईशर

उपस्थित देवदत्त भीडासरा अभिभाषक अपीलांट

श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1/1 से 1/3 व 2 व 3

निर्णय दिनांक 26.5.23

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक अपीलांट मनीराम के पिता ठाकर पुत्र ईशर व मृतक रेस्पोडेंट संख्या–1 काशीराम के दादा स्व. कालू पुत्र ईशर सगे भाई थे। ईशर व कालूराम पुत्र ठाकरसी एवं चेतराम पुत्र नानू के नाम से संयुक्त खाता में खसरा नं. 150 में 2.05 बीघा, ख.नं. 155 से 89.07 बीघा, खसरा नं. 251 में 13.01 बीघा, खसरा नं. 264 में 21.08 बीघा कुल 144.01 बीघा गैर दाखिदारी कब्जा काश्त की भूमि थी। उक्त भूमि में ठाकरसी व कालू पुत्र ईशर का 1/2 हिस्सा व चेतराम पुत्र कालू का 1/2 हिस्सा था। चेतराम ने अपने 1/2 हिस्सा की भूमि का अलग से आंवटन करवा लिया। स्व. ठाकरसी एवं कालू पुत्र ईशर के 1/2 हिस्सा की भूमि 70.12 बीघा चकबंदी के दौरान चक–3 बी.आर.एन. व चक–4 बी.आर.एन. में 70.12 बीघा पर पैमूद हुई। उक्त गैरदाखिलकारी की भूमि आवंटन करवाने हेतु ठाकरसी व कालू राम ने राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्राधिकार गैर दाखिलकार काश्तकारों को भूमि का आवंटन विक्रय नियम 1970 के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये। न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (R.C.P.) हनुमानगढ़ में ठाकरसीव व कालूराम के कब्जाकाश्त की गैर दाखिलकारी की 70.12 बीघा भूमि स्व. कालू पुत्र ईशर (पूर्वज रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3) के आवंटन कर दी। स्व. ठाकरसी पुत्र ईशर के विधिक वारिस अपीलांट मनीराम एवं रेस्पोडेंट सं. 5 हेतराम थे व स्व. कालूराम पुत्र ईशर के वारिस रेस्पोडेंट सं. 1 काशीराम था। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेंट व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। दौराने अपील अपीलांट मनीराम का देहान्त होने पर उसके वारिसान को बतौर अपीलांट पक्षकार बनाया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 काशीराम फौत होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया। रेस्पोडेंट सं. 4 चन्दो पत्नि हेतराम फौत होने पर उसके वारिस पूर्व में ही पक्षकार होने के

--3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कारण उसका नाम कलमजन किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 के अभिभाषक उपस्थित आये। उसके पश्चात् रेस्पोडेंट सं 1/1, 1/2 व 1/3 एवं 2 व 3 की तरफ से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अन्य रेस्पोडेंट बावजूद तामिल के भी उपस्थित नहीं आये। दौराने अपील अपीलांट व रेस्पोडेंट की तरफ से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पेश हुए। दोनों पक्षों द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड संलग्न आया।

3. उभय पक्ष विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि निर्णय दिनांक 14.4.1971 के विरूद्ध अपील दिनांक 30.5.12 को पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि अपीलांट के दादा स्व. ठाकरजी की अपने भाई कालूराम के साथ संयुक्त कब्जाकाश्त की गैर दाखिलदारी की भूमि थी जिसमें स्व. ठाकरजी का 1/2 हिस्सा था। विचारण न्यायालय में आंवटन हेतु ठाकरजी व कालूराम दोनों उपस्थित हुए थे, परन्तु अपीलाधीन निर्णय द्वारा केवलमात्र कालूराम को सम्पूर्ण भूमि आवंटन कर दी। अपीलांट को आवंटन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट के पिता ठाकरजी भोले व अनपढ़ व्यक्ति थे। अपीलांट के पिता आवंटन से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया। गेर दाखिल दारी की भूमि कब्जा के अभाव में आवंटन नहीं की सकती। आदेश बिना क्षेत्रधिकार एवं बिना सुने पारित किया गया है, जिसकी कोई मियाद नहीं है। निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.7.1984 को हुई व अपीलांट के अभिभाषक ने भूमि के सम्बन्ध में घोषणा का दवा सहायक कलैक्टर में प्रस्तुत कर दिया। उक्त दावा दिनांक 22.5.2012 आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पर नया वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त करके विड्रा कर दिया व दिनांक 28.5.12 नकल प्राप्त करके दिनांक 29.5.2012 को अपील प्रस्तुत कर दी। दिनांक 14.4.71 से दिनांक 4.7.89तक जानकारी के अभाव में व दिनांक 5.7.89 से दिनांक 22.4.12 तक गलत न्यायालय में कार्यवाही करने के आधार पर देरी माफ की जावे। प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पर बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश राजस्थान उपनिवेशन (पैतालिया क्षेत्र में गैर दाखीलकारों को भूमि आवंटन) शर्त 1970 के तहत पारित किया गया है। किसी भी गैर दाखिल कार काश्तकार को भूमि आवंटन करने से पूर्व भूमि पर दिनांक 15.10.55 से दिनांक 15.11.59 तक कब्जा होना आवश्यक है। अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र के साथ आवंटन आदेश में वर्णित भूमि की सम्वत् 2009 से 2012 तक की जमाबंदी व सम्वत् 2012 से 2016 तक की गिरदावरी प्रस्तुत की है जो राजस्व रिकॉर्ड की सत्यप्रति है व अपील के सही निस्तारण में सहायक हैं। इसलिये अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर ली जाये। विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, इसलिये पूर्व में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सके। गुणावगुण की बहस में कथन किया कि आवंटन आदेश में वर्णित भूमि ठाकरसी व कालू की संयुक्त कब्जा काश्त की गैर दाखिलकारी की भूमि के धारा 2 एम राजस्थान उपनिवेशन गेर दाखिलकार आवंटन शर्त 1970 के अनुसार कालू व ठाकरजी गैर

Lalo
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दाखिलकार से शर्त सं. 5 के तहत गैर दाखिल कारों की सूची में नाम होने के कारण विचारण न्यायालय ने दिनांक – 18.3.71 को ठाकरसी व कालू का 70.12 बीघा भूमि पर बतौर गैर दाखिलकार कब्जा होना माना था। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अकेले कालू को 70.12 बीघा भूमि बतौर गैर दाखिलकार आवंटन की है, लेकिन शर्त संख्या–9 के तहत दिनांक 15.10.55 से दिनांक 15.11.59 तक लगातार कब्जा होना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2009 से 2012 में स्व. ठाकरसी व स्व. कालू का नाम संयुक्त रूप से बतौर गैर दाखिलकार दर्ज है। गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2016 में काश्त भी ठाकरसी व कालू की दर्ज है। वादग्रस्त भूमि बिना कोई जांच किये अकेले कालू पुत्र ईशर को आवंटन की है। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में DNJ-2019 I पृ. 529, RRT 2022 I पृ. 493, RBJ-2018 पृ. 42 (S.C) DNJ 2015 II पृ. 592 (S.C.) RRT 2018 I पृ. 491, RRT 2014 II पृ. 1165 व RRD 1990 पृ. 640 एवं गैर दाखिलकारी आवंटन शर्ते 1470 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करके आवंटन आदेश में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा का आवंटन स्व. ठाकरसी पुत्र ईशर के वारिस होने के आधार पर अपीलांट को करने का अनुतोष चाहा।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि मृतक अपीलांट मनीराम ने आवंटन आदेश दिंनाक 14.4.71 के विरूद्ध अपील दिनांक 30.5.12 को 41 वर्ष वाद पेश की है। विचारण न्यायालय ने पूर्णतया जांच करके विधि पूर्वक आवंटन आदेश जारी किया है। आवंटन के स्वयं अपीलांट का पिता ठाकरसी स्वयं उपस्थित था, जिसे अपील में भी स्वीकार किया हैं। निर्णय दिनांक से अपील की मियाद के बिन्दू पर खारिज योग्य है। स्व. ठाकरसी ने आवंटन आदेश के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं की है। प्रार्थना–पत्र में देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया है। जानकारी के पश्चात् भी वाद दायर किया है, उक्त देरी भी माफ नहीं की जा सकती। अपील मियाद के बिन्दू पर खारिजी योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पर बहस में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ वाद पत्र मनीराम बनाम काशीराम वाद संख्या 172/96 उसके रेस्पोडेंट काशीराम द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र व जवाब चक–10 एजी की परचा खतौनी अपीलांट के पिता ठाकरसी पुत्र ईशर की आवंटन प.त्रावली अनवानी ठाकरसी पुत्र ईशर जाति जाट निवासी चाहूवाली प्रकरण सं. 1069/180/70 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.1971 की सत्यप्रति प्रस्तुत कर दस्तावेजों का रिकॉर्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य पर लेने का कथन किया। गुणावगुण पर बहस में कथन किया आवंटन आदेश में वर्णित भूमि पर अपीलांट अथवा उसके पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, रेस्पोडेंट के पिता कालू उक्त भूमि में गैरदाखिल कार थे विचारण न्यायालय ने स्व. ठाकरसी दिनांक 18.03.1971 को उपस्थित आये थे, उसके पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं की व न ही आवंटन हेतु कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, विचारण न्यायालय ने आवंटन प्रार्थना–पत्र पर व दस्तावेजों की पूर्ण जांच करके चक–3 बी.आर.एन. व चक–4 बीआरएन में 25.15 बीघा बिना कीमतन व चक–4 बीआरएन में 44.17 बीघा भूमि कीमतन आवंटन किया। अपीलांट के पिता ठाकरसी के धारण में खसरा 273 में 68.25 बीघा भूमि गैर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दाखिकारी की ओर थी जो दिनांक 14.04.1971 को ठाकरसी को आवंटन कर दी गई। उक्त पत्रावली में ठाकरसी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया कि उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि गैरदाखिलकारी की नहीं है। उक्त भूमि के आवंटन प्रार्थना–पत्र में भी कोई अंकन नही किया गया। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांक DNJ 2018 पृ. 394 (राज.), RBJ 2020 पेज 648 व 255 RBJ 2021 पेज 747 प्रस्तुत करके अपील निराधार एवं झूठे तथ्यों पर पेश होने के कारण अपील खारिज करने का कथन किया।

6. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गइ है व अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ करने हेतु धारा–5 व 14 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि दिनांक 18.03.71 को मुकाम थालड़का में पेशी लेने पर स्वर्गीय ठाकरसी व स्वर्गीय कालूराम पुत्र ईशर सिंह देनों उपस्थित आये थे व पत्रावली में आगामी पेशी मुख्यालय पर दिनांक 06.04.1971 को मुकर्र की गई, परन्तु दिनांक 06.04.1971 को पत्रावली पेशी में नहीं ली गई व दिनांक 14.04.1971 को पत्रावली पेशी में लेकर रेस्पोडेंट के पूर्वज कालू पुत्र ईशर को भूमि बतोर गैर दाखिलकार आवंटन कर दी। फर्द अहकाम दिनांक 14.04.1971 में खसरों में दर्ज 144 बीघा भूमि में ठाकरसी व कालू का 1/2 हिस्सा व चेतराम के नाम 1/2 हिस्सा मुताबिक रिकॉर्ड माना है, परन्तु आवंटन आदेश केवलमात्र कालू के नाम जारी किया गया है। इसलिये अपील में गुणावगुण पर उचित आधार है। अपीलांट के पूर्वज को बिना सुने निर्णय पारित किया गया होने के कारण निर्णय की जानकारी नहीं मानी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत DNJ 2019 II पृ. 529 के अनुसार अपील करने से पूर्व अन्य न्यायालय में लगे समय को धारा–14 मियाद अधिनियम के तहत देरी माफ करने का निर्धारण किया है। RRT 2022 I पृ. 493 व RBJ 2018 पृ. 42 में अपील को मियाद के तनकी के आधार पर खारिज न करने का निर्धारण किया है व DNJ 2018 पृ. 592 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तात्विक न्याय प्रदान करने हेतु मियाद के बिन्दू पर नर्म रूख अपनाकर देरी माफ करने का निर्धारण किया गया है। यह तथ्य गुणावगुण पर विवेचन करने के पश्चात् ही निर्धारण किया जा सकता है कि बतौर गैरदाखिकार आवंटन के पात्र कौन है व वादग्रस्त भूमि बतौर गैर दाखिलकार किसके कब्जा में थी। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत DNJ 2018 II पृ 394 (राज.) तथ्यों की भिन्नता के कारण चस्पा नहीं होती है। इसलिये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ की जानी उचित है। अतः देरी माफ की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट व रेस्पोडेंट दोनों ने प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेजों की सत्य प्रति प्रस्तुत की है। अपीलांट ने आदेश में वर्णित भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2009 से 2012 व गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2016 की सत्यप्रति प्रस्तुत की है व इसी प्रकार रेस्पोडेंट ने स्वर्गीय कालू के राजस्व रिकॉर्ड की परचा खतौनी व ठाकरसी पुत्र ईशर की आवंटन अन्य भूमि के फर्द अहकाम प्रस्तुत किये है। उक्त तमाम दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की सत्यप्रति है व आवंटन आदेश में वर्णित भूमि की है। न्यायिक दृष्टांत RRT 2018 I

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पृ. 491 व RRT 2014 II पृ. 1165 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार उपरोक्त दोनों प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिये जाते है।

7. विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालिसा क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन) शर्त 1970 के तहत प्रकरण लम्बित था। रोही चाहूवाली के खसरा नं. 150 में 20.5 बीघा, खसरा नं. 155 में 89.7 बीघा, खसरा नं. 255 में 13.1 बीघा, खसरा नं. 264 में 21.08 बीघा कुल 144.01 बीघा गैर दाखिलकारी की भूमि में ठाकरसी व कालूराम पुत्र ईशरराम का 1/2 हिस्सा व चेतराम पुत्र नानू का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होना पत्रावली के फर्द अहकाम दिनांक 14.04.1971 व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2012 में खसरा नं. 150 व 155 की भूमि इसी अनुसार बतौर गेर दाखिलकार दर्ज है, इससे यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूमि में सम्वत् 2012 में ठाकरसी व कालू पुत्र ईशर 1/2 हिस्सा एवं चेतराम पुत्र नानू 1/2 हिस्सा के गैरदाखिलकार थे। इसी अनुसार गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2016 में भी काश्त दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपरोक्त खसरो की भूमि में चेतराम को 1/2 हिस्सा की भूमि अलग पत्रावली में आवंटन करना व चेतराम के हिस्सा की भूमि के संबंध में दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के फर्द अहकाम दिनांक 18.03.1971 स्वर्गीय ठाकरसी एवं स्व. कालूराम दोनों की उपस्थिति दर्ज है। फर्द अहकाम में दोनों के धारण की भूमि में गैरदाखिलकारी की भूमि होना मानकर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 06.4.71 निर्धारित की है, परन्तु दिनांक 06.4.71 को पत्रावली पेशी नहीं ली गई व दिनांक 14.4.1971 को पत्रावली पेशी में ली जाकर स्वर्गीय कालू पुत्र ईशर को ठाकरसी व कालूराम पुत्र ईशर की 1/2 हिस्सा की 70.15 बीघा भूमि अकेले कालू पुत्र ईशर को आवंटन कर दी। फर्द अहकाम दिनांक 14.04.71 में यह स्पष्ट अंकन किया कि खसरा नं. 150, 155, 251 व 264 की 144.01 बीघा भूमि सम्वत् 2012 से पूर्व की गैर दाखिलकारी भूमि है जिसमें ठाकरसी व कालू पुत्र ईशर का 1/2 हिस्सा एवं चेतराम पुत्र नानू का 1/2 हिस्सा है। शर्त सं. 2 एम के तहत गैर दाखिलदार काश्तकारी की परिभाषा में गैरदाखिलकार काश्तकार उसे माना गया है, जो विस्वेदारी भूमि पर दिनांक 15.11.59 से पूर्व काबिज हो व बतौर गैर दाखिलकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो, वादग्रस्त भूमि के बिस्वेदार अनकौरी आदि जमाबंदी सम्वत् 2012 में दर्ज है व ठाकरसी व कालू गैर दाखिलकार दर्ज है। शर्त सं. 9 के अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD 1990 पृ. 640 में गैर दाखिलकार के रूप में भूमि आवंटन करने हेतु वर्ष 1958 से दिनांक 15.11.1955 तक लगातार गिरदावरी में कब्जा साबित करना आवश्यक माना है व कब्जा के अभाव में गैरदाखिलकार के रूप में आवंटन नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं जमाबंदी व गिरदावरी में आवंटन शुदा भूमि ठाकरसी व कालू पुत्र ईशर के संयुक्त कब्जाकाश्त में होनी साबित है, इसलिये दोनों ही गैरदाखिलकार संयुक्त रूप से भूमि आंवटन करवाने के अधिकारी है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सत्यप्रति वाद–पत्र एवं परचा खतौनी व स्वर्गीय ठाकरसी की अन्य आवंटन पत्रावली से भी रेस्पोडेंट को कोई सहायता प्राप्त नही होती है। रेस्पोडेंट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RBJ 2020 पेज 648 व 255 एवं RBJ 2021 पेज 747 में आवंटन शुदा भूमि की खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त न करने का निर्धारण किया है, जो तथ्यों की भिन्नता के कारण चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई आधार अंकित किये गैरदाखिलकारी संयुक्त कब्जाकाश्त की भूमि को अकेले कालू पुत्र ईशर को आवंटन कर दी जो अपास्त योग्य हैं। व आवंटन शुदा भूमि के ठाकरसी एवं कालू दोनों संयुक्त रूप से गैरदाखिलकार होने व संयुक्त रूप से जमाबंदी में गैरदाखिलकार दर्ज होने व गिरदावरी में संयुक्त रूप से काश्त होने के कारण दोनों आवंटन के अधिकारी होने के कारण अपीलाधीन आदेश 14.04.1971 अपास्त योग्य बनता है व अपील स्वीकार योग्य बनती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेंट के पूर्वज कालू पुत्र ईशर को आवंटन की गई 70.12 बीघा भूमि ठाकरसी व कालू पुत्र ईशर संयुक्त रूप से गेर दाखिलकार होने के कारण संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर के आवंटन के अधिकारी होने के कारण 1/2 हिस्सा का आवंटन निरस्त किया जाकर ठाकरसी पुत्र ईशर आवंटन का अधिकारी होने के कारण ठाकरसी पुत्र ईशर के वारिसान को आवंटन की जाती है। आवंटन आदेश में वर्णित भूमि चक–3 बीआरएन प.नं. 215/380 किला नं. 11/0.07, 12/0.012, 19, 20/2.00, 21/0.18, 22/.18 कुल 3.16 बीघा चक–10 एजी प.नं. 213/379 किला नं. 3 ता 8/6.03, 13 ता 18/6.00, 23 ता 25/3.00 कुल 15 बीघा प.नं. 213/368 किला नं. 13 ता 18/6.00, 23/0.18, 24/0.18, 25/.18 कुल 8.14 बीघा प. नं. 214/368 किला नं. 1/1.00, 5, 6/2.00, 10, 11/2.00, 15, 16/2.00, 20/1.00, 21/0.18, 25/0.18 कुल 9.16 बीघा, प.नं. 215/368 किला नं. 1 ता 3/3.00, 8 ता 13/6.00, 18 ता 20/3.00, 21/0.18, 22/.18, 23/.18 कुल 14.16 बीघा, प.नं. 214/369 किला नं. 1, 10, 11, 12/4.00, 19 ता 22/4.00 कुल 8.00 बीघा चक–4 बीआरएन प.नं. 215/379 किला नं. 11, 12/2.00, 19 ता 22/4.00 कुल 6.00 बीघा, प.नं. 215/380 किला नं. 1, 2/2.00, 9/0.14, 10/0.19 कुल 3.13 कुल तीनों चको में कुल 70.12 बीघा जो राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज है, में 1/2 हिस्सा भूमि ठाकरसी के वारिसान अपीलांट के नाम 1/4 हिस्सा रेस्पोडेंट सं. 5 ता 7 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित इस निर्देश के साथ भिजवाया जावे कि निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

9. निर्णय आज दिनांक 26.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/5/23

(करतार सिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़